जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना नगीना देहात दिनांक 20.02.2025

थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 27/25 धारा 309(4) में वांछित अभियुक्त को लूट के मोबाइल फोन व नगदी सहित किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 09.02.2025 को वादी श्री सचिन कुमार पुत्र श्री किशोरी सिंह निवासी ग्राम कनकपुर कलां थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ने थाना नगीना देहात पर तहरीर दी कि वादी अपनी पत्नी व बेटे के साथ जब अपनी ससुराल जा रहा था तो रास्ते में जंगल ग्राम अब्दीपुर के पास एक मोटरसाइकिल पर सवार 03 अज्ञात बदमाशों द्वारा वादी की मोटरसाइकिल को रुकवा लिया तथा तमंचे से डरा धमका कर वादी का मोबाइल फोन, नगदी व वादी की पत्नी से आभूषण छीन कर भाग गये । इस संबंध में थाना नगीना देहात पर मु0अ0सं0 27/25 धारा 309(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

उपरोक्त घटना के दृष्टिगत वरिष्ठ अधिकारियो द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया, जिसके क्रम में विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान 1- मनोज उर्फ नेवला पुत्र ध्यान सिंह निवासी ग्राम अकबरपुर अंगाखेडी थाना मंडावर जनपद बिजनौर 2- विनोद उर्फ काना पुत्र बलराम नि0 ग्राम रानीकोटा थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर 3- रोहित पुत्र धनीराम नि0 ग्राम शाहपुर उर्फ खैरुल्लापुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर के नाम प्रकाश में आये ।

कार्यवाही –

थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 27/25 धारा 309(4) में वांछित तथा प्रकाश में आये अभियुक्त रोहित पुत्र धनीराम नि0 ग्राम शाहपुर उर्फ खैरुल्लापुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को लूटे गये मोबाइल फोन व 700 रूपये नगद सहित गिरफ्तार किया गया । अभियोग में धारा 317(2) BNS की वृद्धि की गयी तथा अग्रिम कार्यवाही की जा रही है । वांछित अभियुक्तगणो की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है।

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्त उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त रोहित उपरोक्त के द्वारा अपने दो अन्य साथियो मनोज उर्फ नेवला तथा विनोद उर्फ काना के साथ योजना बनाकर अब्दीपुर के पास नहर वाले रास्ते पर एक मोटरसाइकिल पर जा रहे पति पत्नी को रोककर उन्हे तमंचे से डराकर मोबाइल फोन, नगदी व आभूषण लूट लिये थे। लूट के सामान में से अभियुक्त रोहित उपरोक्त को 1000 रुपये मिले थे तथा बाकि का सामान व नगदी उसके दो अन्य साथियो के पास है, जिनकी शीघ्र गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

रोहित पुत्र धनीराम नि0 ग्राम शाहपुर उर्फ खैरुल्लापुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

वांछित अभियुक्तगणों का नाम व पता -

1- मनोज उर्फ नेवला पुत्र ध्यान सिंह नि0 ग्राम अकबरपुर अंगाखेडी थाना मंडावर बिजनौर।

2- विनोद उर्फ काना पुत्र बलराम नि0 ग्राम रानीकोटा थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।

बरामदगी का विवरण –

01 मोबाइल फोन व 700 रुपये नगद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1-उ0नि0 दीपक कुमार थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।

2- मुख्य आरक्षी रविन्द्र कुमार थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।

3- आरक्षी आशीष धामा थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।

4- आरक्षी अमित कुमार थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना नजीबाबाद **दिनांक- 20.02.2025**

थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा एटीएम कार्ड को धोखाधडी से बदलकर एटीएम से रुपये निकालने वाले 02 शातिर अन्तर्राज्जीय अभियुक्तगणों को भिन्न-भिन्न बैंको के 57 एटीएम कार्ड, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व अवैध शस्त्रो सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही विवरण :-

जनपद में अपराध की रोकथाम, लूट, चोरी व नकबजनी की घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा 02 शातिर अभियुक्तगण 1- बैकी उर्फ सुरेन्द्र उर्फ सुलेन्द्र पुत्र सुन्दर निवासी ससिया कॉलोनी देवकली थाना फरधान जनपद लखीमपुर खीरी हाल निवासी बैरियर नम्बर 06 बहादराबाद थाना बहादराबाद जनपद हरिद्वार 2- अजय कुमार पुत्र सतीश निवासी ससिया कॉलोनी देवकली थाना फरधान जनपद लखीमपुर खीरी को 02 अवैध तमंचे 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर, फर्जी नम्बर प्लटे लगी घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल तथा भिन्न – भिन्न बैंको के 57 एटीएम कार्ड सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 54/2025 धारा 318(4)/336(3)/338/340(2) बीएनएस 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है। आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ विवरणः-

अभि0गण से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्तगण बैकी उर्फ सुरेन्द्र उर्फ सुलेन्द्र तथा अजय कुमार उपरोक्त के द्वारा विभिन्न राज्यो के कस्बे व देहात क्षेत्र में लगी ए0टी0एम0 मशीन पर खडे होकर रैकी करते रहते है, जब कोई व्यक्ति ए0टी0एम0 मशीन मे पैसे निकालने आता है तो ये लोग उन्हे विश्वास में लेकर ए0टी0एम0 मशीन से पैसे निकालने मे मदद करते है और उसके ए0टी0एम0 का पिन भी देख लेते है। मौका देखकर उसका ए0टी0एम0 कार्ड बदलकर उसे अपने पास से उसी बैंक व उसी रंग का दूसरा ए0टी0एम0 कार्ड दे देते है। इस प्रकार ये लोग उस व्यक्ति के ए0टी0एम0 कार्ड का प्रयोग करके अन्य स्थानो पर जाकर पैसे निकाल लेते है। अभियुक्तगणों से बरामद मोटरसाइकिल अभियुक्त बैकी उर्फ सुरेन्द्र उर्फ सुलेन्द्र के भांजे रोहित सिंह राणा के नाम पर है, जिसका सही नम्बर UP31CH4764 है। अभियुक्तगणों से बरामद ए0टी0एम0 कार्ड अलग अलग जगह से लोगो को धोखा देकर उनसे बदले हुये एटीएम कार्ड है तथा कुछ ए0टी0एम0 कार्ड इन्हे रास्तो पर व ए0टी0एम0 मशीन में ही पडे मिल गये थे।

अभियुक्तगणो द्वारा 15 दिन पहले जबलपुर, मध्यप्रदेश से एक व्यक्ति का ए0टी0एम0 कार्ड बदलकर 01 लाख 20 हजार रूपये निकाल लिये थे तथा लगभग 03 से 04 दिन पहले भी खुर्जा, बुलन्दशहर से एक व्यक्ति का ए0टी0एम0 कार्ड

बदलकर 03 हजार रूपये निकाले थे। अभियुक्तगण शातिर किस्म के अपराधी है जिनके आपराधिक इतिहास के बारे में विस्तृत जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1-बैकी उर्फ सुरेन्द्र उर्फ सुलेन्द्र पुत्र सुन्दर निवासी ससिया कॉलोनी देवकली थाना फरधान जनपद लखीमपुर खीरी हाल निवासी बैरियर नम्बर 06 बहादराबाद थाना बहादराबाद जनपद हरिद्वार

2- अजय कुमार पुत्र सतीश निवासी ससिया कॉलोनी देवकली थाना फरधान जनपद लखीमपुर खीरी

बरामदगी का विवरण –

1- विभिन्न बैकों के 57 एटीएम कार्ड।

2- 02 अवैध तमंचे 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

3- घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त बैकी उर्फ सुरेन्द्र उर्फ सुलेन्द्र उपरोक्त –

1- मु0अ0सं0-571/10 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी।

2- मु0अ0सं0 72/2012 धारा 382/34 भादवि चालानी थाना बिन्दापुर दिल्ली।

3- मु0अ0सं0 86/2012 धारा 382/411/34 भादवि दिल्ली।

4- मु0अ0सं0 92/2012 धारा 379/411/34 भादवि चालानी थाना विकासपुरी दिल्ली।

5- मु0अ0सं0 431/13 धारा 392/34 भादवि चालानी थाना मौर्य एनक्लेव दिल्ली।

6- मु0अ0सं0 447/14 धारा 356/379 भादवि चालानी थाना अशोक विहार दिल्ली।

7- मु0अ0सं0 471/14 धारा 356/379 भादवि चालानी थाना अशोक विहार दिल्ली।

8- मु0अ0सं0 974/14 धारा 356/379/34 भादवि चालानी थाना शादाब डेरी दिल्ली।

9- मु0अ0सं0-40/18 धारा 394/411 भादवि थाना हैदराबाद जनपद खीरी।

10- मु0अ0सं0-126/18 धारा 392/411 भादवि थाना रोजा जनपद शाहजहांपुर।

11- मु0अ0सं0-269/18 धारा 392/411 भादवि थाना सदर बाजार जनपद शाहजहांपुर।

12- मु0अ0सं0 273/18 धारा 307/420/483 भादवि थाना सदर बाजार जनपद शाहजहांपुर।

13- मु0अ0सं0-274/18 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना सदर बाजार जनपद शाहजहांपुर।

14- मु0अ0सं0-318/18 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना सदर बाजार जनपद शाहजहांपुर।

15- मु0अ0सं0-207/20 धारा 323/504/506 भादवि थाना फरधाना जनपद खीरी।

16- मु0अ0सं0-387/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना फरधाना जनपद खीरी।

17- मु0अ0सं0-324/23 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम थाना फरधाना जनपद खीरी।

18- मु0अ0सं0-576/23 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम थाना मोहम्मदी जनपद खीरी।

19- मु0अ0सं0 54/25 धारा 318(4)/336(3)/338/340(2) बीएनएस 3/25 आर्म्स एक्ट नजीबाबाद बिजनौर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अजय कुमार उपरोक्त -

1-मु0अ0सं0-226/16 धारा 392/411 भादवि थाना कोतवाली जनपद सीतापुर।

2-मु0अ0सं0-332/16 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली जनपद शाहजहांपुर।

3-मु0अ0सं0-40/18 धारा 394/411 भादवि थाना हैदराबाद जनपद खीरी।

4-मु0अ0सं0-126/18 धारा 392/411 भादवि थाना रोजा जनपद शाहजहांपुर।

5-मु0अ0सं0-269/18 धारा 392/411 भादवि थाना सदर बाजार जनपद शाहजहांपुर।

6-मु0अ0सं0-273/18 धारा 307/420/483 भादवि थाना सदर बाजार जनपद शाहजहांपुर।

7-मु0अ0सं0-275/18 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना सदर बाजार जनपद शाहजहांपुर।

8-मु0अ0सं0-318/18 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना सदर बाजार जनपद शाहजहांपुर।

9-मु0अ0सं0-179/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना फरधाना जनपद खीरी।

10-मु0अ0सं0-153/20 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम थाना फरधाना जनपद खीरी।

11-मु0अ0सं0-418/20 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम व 272 भादवि थाना फरधाना जनपद खीरी।

12-मु0अ0सं0-387/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना फरधाना जनपद खीरी।

13-मु0अ0सं0-498/23 धारा 392/411 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना फरधाना जनपद खीरी।

14-मु0अ0सं0-04/24 धारा 2(बी)(1)/3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना फरधाना जनपद खीरी।

15-मु0अ0सं0 54/25 धारा 318(4)/336(3)/338/340(2) बीएनएस 3/25 आर्म्स एक्ट नजीबाबाद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1- उ0नि0 सौरभ सिंह थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

2- मुख्य आरक्षी नेत्रपाल राठी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

3- आरक्षी रोहित थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

4- आरक्षी अंशुल थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

5- आरक्षी अंकुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना शिवालाकलां दिनांक 20.02.2025

थाना शिवालाकलां पुलिस द्वारा मु0अ0स0 15/25 धारा 137(2)/64(1)/87 बीएनएस व 3 /4(2) पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 12.02.2025 को वादी ने थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर पर तहरीर दी कि वादी की बहन को अभियुक्त मनी पुत्र वीरेश निवासी ग्राम सेह थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर बहला फुसलाकर ले गया। तहरीर के आधार पर थाना शिवालाकलां पर मु0अ0स0 15/25 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा 64(1)/87 बीएनएस व 3 /4(2) पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी तथा दिनांक 18.02.2025 को अभियोग से संबंधित अपहर्ता को बरामद किया गया।

कार्यवाहीः-

थाना शिवालाकलां पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त मनी पुत्र वीरेश निवासी ग्राम सेह थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

मनी पुत्र वीरेश निवासी ग्राम सेह थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1-उ0नि0 श्री दीपक कुमार थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर।

2- हे0का0 345 राजकुमार थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना चादंपुर **दिनांक 20.02.2025**

थाना चांदपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 101/25 धारा 85/351(3)/80(2)बीएनएस0 व 3/4 दहेज प्रतिषेध में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 19.02.25 को वादी संजय कुमार पुत्र रमेश नि0 ग्राम वाजिदपुर थाना बछरायूँ जनपद अमरोहा ने थाना चांदपुर जनपद बिजनौर पर तहरीर दी कि वादी की पुत्री को उसके ससुरालजनों 1- विवेक (पति) पुत्र देवेन्द्र 2- देवेन्द्र (ससुर) पुत्र देवी दीन 3- नीतू (सास) पत्नि देवेन्द्र समस्त नि0गण ग्राम रसूलपुर नंगला थाना चांदपुर जनपद बिजनौर, दहेज के लिए 01 लाख रुपए व बुलेट मोटर साईकिल की मांग कर प्रताड़ित करते थे व जान से मारने की धमकी देते थे तथा दिनांक 19.02.2025 को वादी की पुत्री को फांसी लगाकर जान से मार दिया। इस संबंध में थाना चादंपुर पर मु0अ0सं0 101/2025 धारा 85/351(3)/80(2) बीएनएसव 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि0 पंजीकृत किया गया।

कार्यवाहीः-

थाना चादंपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त विवेक पुत्र देवेन्द्र नि0 ग्राम रसूलपुर नगला थाना चांदपुर बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

विवेक पुत्र देवेन्द्र नि0 ग्राम रसूलपुर नगला थाना चांदपुर बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.उ0नि0 श्री सन्दीप पवांर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

2.उ0नि0 श्री अन्नु कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

3.का0 1221 आशीष कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना नगीना देहात दिनांक 20.02.2025

थाना नगीना देहात पुलिस ने मु0अ0सं0 263/24 धारा 137(2)/69 बीएनएस व ¾ पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनाकं 20.12.2024 को वादी ने थाना नगीना देहात पर तहरीर दी कि वादी की नाबालिग पुत्री को अज्ञात अभियुक्त बहला फुसलाकर ले गया । तहरीर के आधार पर थाना नगीना देहात पर मु0अ0सं0 263/24 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में रोहित पुत्र भोगराम सिंह निवासी नया गाँव थाना मंझौला जनपद मुरादाबाद का नाम प्रकाश में आया तथा अभियोग में धारा 69 बीएनएस व ¾ पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी तथा दिनांक 20.02.2025 वादी की पुत्री को सकुशल बरामद किया गया।

कार्यवाहीः-

थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त रोहित पुत्र भोगराम सिंह निवासी नया गाँव थाना मंझौला जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

रोहित पुत्र भोगराम सिंह निवासी नया गाँव थाना मंझौला जनपद मुरादाबाद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.उ0नि0 त्रिवेन्द्र सिंह थाना नगीना देहात बिजनौर
2.का0 1299 नितिन कुमार थाना नगीना देहात बिजनौर
3.का0 1648 अजीत कुमार थाना नगीना देहात बिजनौर
4.म0का0 1392 प्रकृति थाना नगीना देहात बिजनौर

प्रेस नोटः- जनपद बिजनौर   दिनांकः- 20.02.2025

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में थाना हल्दौर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा गैंगस्टर अधिनियम के आरोपी 02 अभियुक्तों को 03-03 वर्ष के साधारण कारावास व पांच - पांच हजार रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

कार्यवाहीः–

अवगत कराना है कि दिनांक 03.02.2024 को अभियुक्त संजीव कुमार पुत्र अतर सिंह व राजीव उर्फ नीटू पुत्र अमर सिंह निवासीगण ग्राम पावटी थाना हल्दौर जनपद बिजनौर के विरुद्ध थाना हल्दौर पर मु0अ0सं0 45/2014 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया। विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 20.02.2025 को मा0 न्यायालय A.D.J. 06 द्वारा मु0अ0सं0 45/2014 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त 1. संजीव कुमार पुत्र अतर सिंह व राजीव उर्फ नीटू पुत्र अमर सिंह निवासीगण ग्राम पावटी थाना हल्दौर जनपद बिजनौर को 03-03 वर्ष के साधारण कारावास व पांच - पांच हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त अभियोग श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान **"ऑपरेशन कन्विक्शन"** के अन्तर्गत मा0 न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को अधिकाधिक सजा दिलाये जाने हेतु चिन्हित अभियोगों में सम्मिलित था।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पताः-

1.संजीव कुमार पुत्र अतर सिंह निवासी ग्राम पावटी थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

2.राजीव उर्फ नीटू पुत्र अमर सिंह निवासी ग्राम पावटी थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- जनपद बिजनौर दिनांकः- 20.02.2025

“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में थाना को0 शहर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा नगदी व अन्य सामान छीनने के आरोपी 04 हिस्ट्रीशीटर अपराधियो को 06-06 वर्ष के सश्रम कारावास व कुल 1,40,000/- रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

कार्यवाहीः–

अवगत कराना है कि दिनांक 09.10.2021 को वादी ने थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी कि तीन अज्ञात अभियुक्तों ने वादी के पिता पर पिस्टलो की बट से वार कर घायल कर दिया तथा एक बैग जिसमे 2,40,000/- रूपय, लैपटॉप व अन्य कागजात थे, को छीनकर भाग गए। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना को0 शहर पर मु0अ0सं0 702/21 धारा 394 भादवि पंजीकृत किया गया। थाना को0 शहर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग मे प्रकाश मे आये अभियुक्तगण 1.मौसम उर्फ मोहसीन पुत्र महबूब निवासी दारानगर गंज थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर, 2.दीपक पुत्र चन्द्रपाल, 3.मलखान पुत्र कैलाश सिंह व 4.प्रवेन्द्र उर्फ गंजा पुत्र प्रीतम सिंह निवासीगण ग्राम प्रथ्वीपुर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को अवैध शस्त्रो सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध मे थाना कोतवाली शहर पर आयुध अधिनियम की धाराओं मे अभियोग पंजीकृत किये गए। विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 20.02.2025 को मा0 न्यायालय ADJ पॉक्सो अधिनियम, जनपद बिजनौर द्वारा मु0अ0सं0 702/21 धारा 394/411 भादवि व मु0अ0सं0 709/21-712/21 धारा 3/25 आयुध अधिनियम में अभियुक्तगण 1.मौसम, 2.दीपक, 3.मलखान व 4.प्रवेन्द्र उर्फ गंजा उपरोक्त को 06-06 वर्ष के सश्रम कारावास व कुल 1,40,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड की कुल धनराशि मे से 40,000/- रूपये की धनराशि उपरोक्त घटना मे चोटिल राजीव अग्रवाल को प्रतिकर के रूप मे देय होगी।

उल्लेखनीय है कि उपरोक्त चारो अभियुक्तगण थाना कोतवाली शहर के हिस्ट्रीशीटर अपराधी है तथा प्रत्येक के विरूद्ध थाना कोतवाली शहर पर आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पताः-

1.मौसम उर्फ मोहसीन पुत्र महबूब निवासी दारानगर गंज थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर। **(एचएस नं0 177ए)**

2.दीपक पुत्र चन्द्रपाल निवासी ग्राम प्रथ्वीपुर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर। **(एचएस नं0 189ए)**

3.मलखान पुत्र कैलाश सिंह निवासी ग्राम प्रथ्वीपुर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर। **(एचएस नं0 178ए)**

4.प्रवेन्द्र उर्फ गंजा पुत्र प्रीतम सिंह निवासी ग्राम प्रथ्वीपुर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर। **(एचएस नं0 188ए)**